# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 01235/2023**

रंजना शर्मा **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सांख्यिकी विभाग, सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक संयुक्त सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन), आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सीकर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 10.04.2023
**आदेश की दिनांक** : 21.04.2023

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री गोविंद शर्मा, अभिभाषक
**प्रत्यर्थीगण की ओर से** :

**समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में सांख्यिकी निरीक्षक (सांख्यिकी अधिकारी सहायक) के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी सीकर में कार्यरत है। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी, पिसागन, अजमेर में बिना किसी प्रशासनिक कारण के किया गया है। अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण 6 महीने के अल्प अवधि में ही किया गया है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से 200 कि.मी. दूर किया गया है। अपीलार्थी के पति ब्रांच मैनेजर स्केल–2 के पद पर पंजान नेशनल बैंक, वृत खेजरोली, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी ने अपने स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कभी कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया,

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 05.01.2023 (अनुलग्नक–1) को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जावे तथा अपीलार्थी को सांख्यिकी निरीक्षक (सांख्यिकी अधिकारी सहायक) के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी सीकर में कार्य करने दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में सांख्यिकी निरीक्षक (सांख्यिकी अधिकारी सहायक) के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकरी सीकर में कार्यरत है। अपीलार्थी को यह निर्देश दिए जाते है कि अपीलार्थी आदेश की दिनांक से चार सप्ताह में समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। उसे राज्य सरकार व विभाग के नियमों/दिशा–निर्देशों/ परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (speaking order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(शुचि शर्मा)**
**सदस्य**